

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 नवम्बर 2019—कार्तिक 23, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

अधि. क्र. 25-एफ-1-54-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 क एवं इसके अधीन निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के प्रावधान एवं नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद सीधी, जिला सीधी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 21, रानी दुर्गावती वार्ड (2) वार्ड क्र0 08, पं. दीनदयाल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 16, राजीव गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 12, मुकर्जी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	(1) वार्ड क्र0 17, लालबहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र0 06, सरदार पटेल वार्ड (3) वार्ड क्र0 01, राजेन्द्र वार्ड (4) वार्ड क्र0 03, तिलक वार्ड (5) वार्ड क्र0 19, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (6) वार्ड क्र0 20, महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 21, रानी दुर्गावती वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 12, मुकर्जी वार्ड

6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र0 17, लालबहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र0 01, राजेन्द्र वार्ड (3) वार्ड क्र0 03, तिलक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	07	(1) वार्ड क्र0 04, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र0 11, शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र0 13, डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड (4) वार्ड क्र0 15, आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड (5) वार्ड क्र0 18, इंदिरा गांधी वार्ड (6) वार्ड क्र0 23, महावीर वार्ड (7) वार्ड क्र0 24, शंकराचार्य वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

अधि. क्र. 25-एफ-1-54-2019-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 25 एफ 1-54-2019-अठारह-3, दिनांक 14 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhoapl, the 14th November 2019

Not- No. 25 F-1-54-2019-XVIII-3.—In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Municipal Council Sidhi, District Sidhi published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total wards	Reserved ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No.21- Rani Durgawati ward (2) Ward No.08- Pt. Decndayal ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No. 16- Rajeev Gandhi ward (2) Ward No. 12- Mukharjee ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Caste	06	(1) Ward No. 17- Lalbhadr Shastri ward (2) Ward No. 06- Shardar Patel ward (3) Ward No. 01- Rajendra ward (4) Ward No. 03- Tilak ward (5) Ward No. 19 – Dr. Ambedkar Ward (6) Ward No. 20- Maharana Pratap ward
4	No. of Wards Reserved for Scheduled Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 21- Rani Durgawati ward
5	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No. 12- Mukargi ward
6	No. of Wards Reserved for Other Backward Caste (Women)	03	(1) Ward No. 17- Lalbhadr Shastri ward (2) Ward No. 01- Rajendra ward (3) Ward No 03 .- Teelak ward
7	No. of Wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (women)	07	(1) Ward No. 04- Subhasha ward (2) Ward No. 11- Shivaji ward (3) Ward No. 13- Dr. Rammanhoar lohiya ward (4) Ward No. 15- Acharya Narendradev ward (5) Ward No. 18- Indra Gandhi ward (6) Ward No. 23- Mahaveer ward (7) Ward No. 24- Shankaracharya ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy Secy.